भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5266
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)
नए कंपनी अधिनियम का कार्यान्वयन

5266. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कोई रूपरेखा तैयार/प्रस्तावित की है, जिसमें देश में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) और नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग ऑथोरिटी (एनएफआरए) की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आईईपीएफए और एनएफआरए को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;
(ग) आईईपीएफए और एनएफआरए के कार्यकरण, प्राधिकारियों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या निवेशकों के संरक्षण से संबंधित नए कंपनी अधिनियम की अनेक धाराओं को सरकार द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) उक्त अधिनियम के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (च) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 व धारा 132 के उपबंधों में क्रमश: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) एवं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन, शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के ब्यौरे दिए गए हैं। ये धाराएं अभी अधिसूचित की जानी हैं। इन अधिकरणों से संबंधित प्रारूप नियम तैयार किए गए हैं तथा उन्हें हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों हेतु इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है। आईईपीएफए के लिए लेखांकन एवं धनराशि लौटाने की प्रक्रिया के बारे में वित्त मंत्रालय एवं महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के साथ भी परामर्श किए गए हैं। प्रारूप नियम को वर्ष 2015-16 के दौरान अधिसूचित किए जाने की आशा है।

निवेशक संरक्षण से संबंधित अन्य उपबंध जैसे स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की समितियां, लघु शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति, संबंधित पक्ष संव्यवहार आदि पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और इसके अपीलीय निकाय की कार्यप्रणाली से संबंधित कतिपय धाराओं के बारे में उच्चतम न्यायालय में वाद चल रहा है और अभी अधिसूचित नहीं की गई हैं।

*****